(1)

पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय
महाप्रबन्धक (कार्मिक)
गोरखपुर।

ई0पी0सं0–11–25
क्रमांक– 193/2017
आरबीई सं0–130/2017
सं0 ई/283/1/भाग–3/चार

दिनॉक 20–09–2017

सचिव/महाप्रबन्धक
सचिव/अपर महाप्रबन्धक
सभी विभागाध्यक्ष
सभी मण्डल रेल प्रबन्धक
सभी कार्मिक अधिकारी
सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक
सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना
पूर्वोत्तर रेलवे।

विषयः–पारस्परिक अदला बदली के आधार पर स्थानान्तरण के मामले में कर्मचारियों को कार्यमुक्त करने के सम्बन्ध में।

रेलवे बोर्ड का पत्र सं0 ई(एनजी)।–2017/टीआर/24 दिनांक 15.09.2017 की अंग्रेजी प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक/यथोपरि

(यू0 पी0 सिंह)
उपमुकाधि/अराज.
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महामंत्री/एन.ई.रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर – 40 प्रतियों में।
2– महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूउरे/गोरखपुर – 02 प्रतियों में।
3– महामंत्री/रेसुब एशोसियेशन/पूउरे/गोरखपुर – 02 प्रतियों में।
4– पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर – 01 प्रति में।
5– महामंत्री/एससी/एसटी एवं ओबीसी एशोसियेशन/गो0–02 प्रतियों में।
6– मुकार्याधी/एमपीपी को बेबसाइट पर अपलोड हेतु – 01 प्रति में।

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

NER 6

(2)

R.B.E. No....130.../2017

GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF RAILWAYS (RAIL MANTRALAYA)
(RAILWAY BOARD)

No. E(NG)I-2017/TR/24 New Delhi, Dated:- 15/09/2017

The General Managers (P),
All Zonal Railways & Production Units etc.
(As per standard list).

Sub:- Relieving of staff on transfer on mutual exchange basis.

173

The issue regarding simplification of rules for expediting request/mutual transfer cases is under consideration of this office and requisite guidelines would be issued in due course. At present, it has been decided that all cases of mutual transfer which have been accepted by both the Zones/Units should be implemented within the next 15 days. **Accordingly, all employees involved in such transfer should be spared latest by 30th September, 2017.**

2. A confirmation to this effect should be sent to this office latest by **5th October, 2017.**

Please acknowledge the receipt.

Hindi version shall follow.

(M.K. Meena)
Deputy Director Estt.(N)
Railway Board.